

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2009 ई0 श्रावण 02, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 278 / XXXVI(3) / 2009 / 45(1) / 2009 देहरादून, 24 जुलाई, 2009

> अ<u>धिसूचना</u> विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 22 जुलाई, 2009 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2009 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड [उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित :--

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 के खण्ड (ख) का निकाला जाना

2-उत्तराखण्ड [उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (ख) निकाल दिया जाएगा।

धारा 3 एवं 4 का निकाला जाना 3-मूल अधिनियम की धारा 3 और 4 निकाल दी जाएगी।

घारा 28 का संशोधन 4-मूल अधिनियम की घारा 28 में शब्द "बोर्ड तथा परिषद्" जहाँ भी आए हों, के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जाएगा।

आज्ञा से.

वी0 बी0 राय, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand [The Uttar Pradesh Cane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953] (Amendment) Bill, 2009' (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 09 of 2009):--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 22, 2009.

No. 278/XXXVI(3)/2009/45(1)/2009 Dated Dehradun, July 24, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH CANE (REGULATION OF SUPPLY AND PUR-CHASE) ACT, 1953] (AMENDMENT) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT No. 09 of 2009)

Further to amend the Uttarakhand [The Uttaranchal {The U.P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 {Adaptation and Modification Order, 2002] Adaptation and Modification Order, 2007.

AN

Act

Be enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 59th year of Republic of India as follows:--

Short title and Commencement

- This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Cane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953] (Amendment) Act, 2009.
- (2) It shall come into force at once.

2. In the Uttarakhand [The Uttaranchal {The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953} Adaptation and Modification Order, 2002] Adaptation and Modification Order, 2007 (hereinafter called Principal Act) sub-section (b) of Section 2 shall be deleted.

Ommission of sub-section (b) of Section 2

3. Section 3 and 4 of the Principal Act shall be deleted.

Ommission of Section 3 and 4

4. In section 28 of the Principal Act, Wherever the words "Board and Council" occurs, shall be substituted by the word "Council".

Amendment of Section 28

By Order,

V. B. RAI,
Principal Secretary.